भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *15

जिसका उत्तर 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया जाना है

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

*15. श्रीमती अन्नपुर्णा देवीः
श्रीमती रमा देवीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋणों के वितरण से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार उक्त भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कानूनों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत उक्त कार्रवाई की गई है और किस प्रकार की कार्रवाई की गई है;

(ग) इसके अंतिम परिणाम क्या रहे; और

(घ) उक्त परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामण)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सांसद और श्रीमती रमा देवी, सांसद द्वारा पूछे गए 18 नवम्बर, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *15 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान धोखाधड़ी (1 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि) में संलिप्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गयी/की गयी कर्मचारी पक्ष कार्रवाई की संख्या क्रमश: 4641, 3232 औ 2107 है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए किए गए मुख्य सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति/अनुमोदन तथा लिंकेजों को संबद्ध करना, समूह तुलन-पत्र की जांच करने तथा नकदी प्रवाह की रिंगफेंसिंग करने, परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि तथा अंतिम जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।

(ii) पूरे आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए अन्य पक्ष आंकड़ा स्रोत का प्रयोग, इस प्रकार गलत प्रस्तुतीकरण तथा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न जोखिम को कम करना।

(iii) सुदृढ़ हामीदारी के लिए ऋण प्रस्तावों का डाटासेट आधारित संचालन, सुव्यवस्थित तथा लेखापरिक्षित जोखिम अंकन, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में पूर्णत: लागू किया गया है और इसे अन्य पीएसबी में भी लागू किया जा रहा है।

(iv) बैंकों को तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता सृजित करने का अधिदेश दिया गया है।

(v) सहभागिता के लिए कम से कम 10% एक्सपोजर के माध्यम से समूह उधार व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है, जिससे सदस्यों की संख्या सहज प्रबंधन योग्य हो गयी है।

(vi) उच्च मूल्य वाले ऋणों में निगरानी को स्वीकृति की भूमिका से अलग किया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा क्षेत्र विशेष की जानकारी रखने वाली विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

इसके अलावा, निम्नलिखित कदमों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग किया गया है:

(i) एमएसएमई ऋण को ऑनलाइन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो, आयकर तथा जीएसटी के त्रिआयामी डाटा का प्रयोग करके PSBloansin59minutes.com के जरिए कांटेक्टलैस डिजिटल लेंडिंग आरंभ किया गया है।

(ii) ऋण प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करने के लिए वैयक्तिक ऋण तथा एमएसएमई ऋण के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को लागू किया गया है।

(iii) संभावित चूक का समाधान करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई हेतु पूर्व निर्धारित प्रणाली सचेतक सृजित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में बैंक तथा अन्य पक्षकार डाटाबेस का प्रयोग करके 80 से अधिक संकेतकों की व्यापक पहचान के लिए आरंभिक चेतावनी संकेतक प्रणाली लागू की गयी है (अन्य पीएसबी में कार्यान्वित की जा रही है)।

(iv) समय पर तथा बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आरंभ से अंत तथा एकबारगी निपटान प्लेटफार्म तैयार किया गया है।

(v) आस्तियों की बिक्री से पारदर्शी तरीके से मूल्य प्राप्त करने हेतु पीएसबी द्वारा निविदा के लिए रखी गयी सभी संपत्तियों के संबंध में सूचना की ऑनलाइन सिंगल विंडो के रूप में eBक्रय को परिचालनरत किया गया है।

(vi) समय पर तथा पारदर्शी वसूली कार्यवाही की सहायता के लिए ऋण वसूली प्राधिकरणों में स्वचलित प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं।

जांच के संबंध में पीएसबी के वरिष्ठ कार्यपालकों के द्वारा निर्णय लेने में अवांछित कठिनाई के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंक, वाणिज्यि तथा वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार मंडल (एबीबीसीएफएफ) का पुनर्गठन किया है और इसका नाम बैंक धोखाधड़ी सलाहकार मंडल (एबीबीएफ) रखा है। 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक मूल्य की सभी बड़ी धोखाधड़ी, जिसमें पीएसबी में महाप्रबंधक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हों, के मामले की जांच के लिए संबंधित पीएसबी द्वारा जांच एजेंसियों को सिफारिश करने/संदर्भ प्रेषित करने से पूर्व एबीबीएफ प्रथम स्तर की जांच का कार्य करेगा।

'सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्ण असहिष्णुता' की अपनी नीति को लागू करने के लिए पूर्णत: सचेत और प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- खरीद संबंधी बड़े कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने के लिए सीवीसी द्वारा संगठनों को अनुदेश जारी करना;
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के संधिपत्र (यूएनसीएसी), 2011 की पुष्टि;
- विभिन्न राज्यों में केवल सीबीआई के मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करना।

जब कभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के संबंध में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बैंक यथा प्रयोज्य नियमों/विनियमों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जब कभी अपेक्षित हो, कार्रवाई आरंभ करता है; और गलितयों की गंभीरता के आधार पर चूक करने वाले कर्मचारियों को समुचित दण्ड दिया जाता है। पीएसबी द्वारा संगत सेवा नियमों/विनियमों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों तथा चयनित वित्तीय संस्थाओं के द्वारा धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में मास्टर दिशानिदेश, दिनांक 1.7.2016 (दिनांक 3.7.2017 को अद्यतन किया गया) जारी किए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को एक अवसंरचना उपलब्ध करायी गयी है, जो उन्हें धोखाधड़ी की पहचान आरंभ में करने तथा उसकी सूचना देने और समय पर संगत कार्रवाई करने, जैसे जांच एजेंसी को सूचित करने, ग्राहकों के दायित्व की जांच करने और प्रभावी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन करने, में सक्षम बनाता है। पीएसबी में अनियमितताओं में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बोर्ड अनुमोदित कर्मचारी दायित्व नीति तथा विनियम हैं।

*****